संख्या: 27 /2016/2034/12-2-2016-60(3)/2016

प्रेषक,

राज कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 09 अगस्त, 2016

विषय: प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों से प्रीमियम की कटौती कर योजना में सम्मिलित करने की अन्तिम तिथि निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 23/2016/1565/12-2-2016-60(3)/2016 दिनांक 10 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या: 24/2016/1715/12-2-2016-60(3)/2016 दिनांक 30 जून, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू की गयी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना लागू किए जाने के सम्बन्ध में कतिपय दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र संख्या: 13017/01/2016-क्रेडिट-2 दिनांक 03 अगस्त, 2016 द्वारा खरीफ, 2016 मौसम में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों से प्रीमियम की कटौती कर योजना में सम्मिलित करने की निर्धारित अन्तिम तिथि दिनांक 31 जुलाई, 2016 से बढाकर दिनांक 10 अगस्त, 2016 तक किए जाने एवं इसी क्रम में सम्पादित किए जाने वाले अन्य कार्यो हेतु निर्धारित की गयी अन्तिम तिथियों में भी तदनुसार विस्तार की सहमति प्रदान की गयी है।

3. अत: भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 03 अगस्त, 2016 के क्रम में वर्ष 2016-17 में प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू की गयी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या: 23/2016/1565/12-2-2016-60(3)/2016 दिनांक 10 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या: 24/2016/1715/12-2-2016-60(3)/ 2016 दिनांक 30 जून, 2016 के प्रस्तर-6(iii) में खरीफ, 2016 में व्यवसायिक/ग्रामीण बैंक शाखाओं/प्राथमिक कृषि सहकारी समिति द्वारा ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों से प्रीमियम की कटौती कर योजनान्तर्गत सम्मिलित करने की निर्धारित अन्तिम तिथि दिनांक 31 जुलाई, 2016 को बढाकर दिनांक 10 अगस्त, 2016 तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उक्त शासनादेशों के प्रस्तर-8 में कृषकों से फसलों के प्रीमियम की धनराशि का एकत्रीकरण व क्रियान्वयन अभिकरण को प्रेषण हेतु निर्धारित समय सारिणी से संबंधित सब प्रस्तर-8(1) में ऋणी कृषकों तथा सब प्रस्तर-8(2) के संगत व्यवस्था के अनुसार सम्पादित किए जाने वाले कार्यो हेतु निर्धारित की गयी अन्तिम तिथियों को भी विस्तारित किया जाता है।

4. शासनादेश संख्या: 23/2016/1565/12-2-2016-60(3)/2016 दिनांक 10 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या: 24/2016/1715/12-2-2016-60(3)/2016 दिनांक 30 जून, 2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

(राज कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 27/2016/2034/12-2-2016- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण, विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7. गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, न्यू बेरी रोड, गन्ना संस्थान, डालीबाग, लखनऊ।
8. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, 14-विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. महानिदेशक, संस्थागत वित्त एवं वाह्य सहायतित परियोजना निदेशालय, उ0प्र0, 16-विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
12. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
13. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
14. निदेशक, मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी एयरपोर्ट, लखनऊ।
15. निदेशक, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेंटर, उ0प्र0, कुर्सी रोड, लखनऊ।
16. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश को-आपरेटिव बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, 2-महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।
17. महाप्रबन्धक, ग्रामीण आयोजना एवं ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, 8-9, विपिनखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), 11-विपिनखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
19. महाप्रबन्धक (प्रशासन), भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, 35-मोती महल मार्ग, हजरतगंज लखनऊ।
20. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति प्रकोष्ठ **(SLBC),** बैंक आफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय, बड़ौदा हाउस, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010.
21. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लि0, पंचम तल, जीवन भवन, फेज-2 नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ।
22. महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, जोनल कार्यालय, सेन्ट्रल जोन, नरही, हजरतगंज, लखनऊ।
23. उप महाप्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
24. महाप्रबन्धक, केनरा बैंक, कृषि वित्त एवं प्राथमिकता क्षेत्र अनुभाग, अंचल कार्यालय, 4- सप्रू मार्ग, लखनऊ।
25. मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया, केन्द्रीय क्षेत्र, 4- बी, हबीबुल्लाह स्टेट, लखनऊ।
26. उप मुख्य अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज बैंक, तीसरी मंजिल, नव चेतना केन्द्र, 10- अशोक मार्ग, लखनऊ।
27. उप महाप्रबन्धक, रीजनल कार्यालय, यूनियन बैंक आफ इण्डिया, शारदा टावर, द्वितीय तल, कपूरथला काम्पलेक्स, अलीगंज, लखनऊ।
28. सहायक महाप्रबन्धक, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, आंचलिक कार्यालय, 8- ज्वाला बिल्डिंग, लालबाग, लखनऊ।
29. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं कृषि), बैंक आफ बड़ौदा, अंचल कार्यालय (पश्चिमी उत्तर प्रदेश), पोस्ट बाक्स नं0-363, विश्व शान्ति काम्पलेक्स, देहली रोड, मेरठ।
30. उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जोनल कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं0-198, पहली मंजिल, जीवन बीमा विनियोग भवन, 45- हजरतगंज, लखनऊ।
31. सहायक महाप्रबन्धक, विजया बैंक, नेहरू भवन, पोस्ट बाक्स नं0-183, कैसरबाग, लखनऊ।
32. सहायक महाप्रबन्धक, सिण्डीकेट बैंक, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ।
33. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूको बैंक, आकाशदीप बिल्डिंग, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
34. जोनल मैनेजर, बैंक आफ इण्डिया, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ।
35. क्षेत्रीय प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया, कोतवाली के सामने, हजरतगंज, लखनऊ।
36. क्षेत्रीय प्रबन्धक, ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स, अंचल कार्यालय, महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।
37. सर्किल हेड, पंजाब नेशनल बैंक, एल0आई0सी0 बिल्डिंग, प्रभातनगर, साकेत, मेरठ।
38. जोनल मैनेजर, इण्डियन बैंक, 2 बी, हबीबुल्लाह इस्टेट, महात्मा गाँधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।
39. क्षेत्रीय प्रबन्धक, देना बैंक, 28 ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
40. वरिष्ठ प्रबन्धक, आन्ध्रा बैंक, 16 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

41. सहायक जनरल मैनेजर, बैंक आफ महाराष्ट्र, विकास नगर, लखनऊ।
42. जनरल मैनेजर, नैनीताल बैंक लि0, नैनीताल बैंक हाउस, 7 ओक्स बिल्डिंग, मल्लीताल, नैनीताल।
43. उप जनरल मैनेजर, कार्पोरेशन बैंक, 1-1/ एफ, अशोक मार्ग (निशातगंज के पास), लखनऊ।
44. शाखा प्रभारी, एक्सिस बैंक लि0, 25-बी, अशोक मार्ग, सिकन्दरबाग चौराहा, लखनऊ।
45. शाखा प्रभारी, आई0डी0बी0आई0 बैंक, सहकारी किसान भवन, तृतीय तल, 2- महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
46. वरिष्ठ प्रबन्धक, फेडरल बैंक, 29 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
47. सहायक उपाध्यक्ष, इण्डसाइण्ड बैंक लि0, नवल किशोर रोड, लालबाग, लखनऊ।
48. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
49. सांख्यिकीय अधिकारी, मण्डलायुक्त कार्यालय, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
50. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
51. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
52. समस्त अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश।
53. समस्त सचिव/महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
54. समस्त प्रबन्धक, लीड बैंक (शीर्ष बैंक), उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।